लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक–विद्या/एस/15/2010/779 भोपाल, दिनांक 01.08.2010

आदेश

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था

शाला में शिक्षकों की कमी/अनुपस्थिति/अवकाश पर जाने से शाला में दर्ज बच्चों का पठनपाठन प्रभावित होता है। राज्य शासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए शाला स्तर पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं –

1. अतिथि शिक्षक रखने का आधार

- यदि किसी प्राथमिक/माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या **निर्धारित मापदण्ड (न्यूनतम 2 शिक्षक प्रति प्राथमिक शाला एवं न्यूनतम 3 शिक्षक प्रति माध्यमिक शाला)** से किन्हीं भी कारणों से कम है तथा यह कमी की अवधि सात दिवस से अधिक की है/संभावित है तब उस शाला में शिक्षकों की निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड से कम संख्या में शिक्षक रहने की अवधि के लिए आहरण संवितरण अधिकारी तथा संकुल प्राचार्य को सूचित करते हुए अतिथि शिक्षक रखा जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप शिक्षकों की कमी निम्न कारणों से हो सकती है–
  - एक सप्ताह से अधिक के मेडिकल अवकाश पर होने
  - एक सप्ताह से अधिक के अर्जित अवकाश पर होने
  - शिक्षिका के प्रसूति अवकाश पर होने पर
  - 7 दिवस से अधिक अनधिकृत अनुपस्थित रहने पर
  - नवीन माध्यमिक शालाएं जहॉ अध्यापक/ संविदा शिक्षक वर्ग 2 की व्यवस्था नहीं हुई है।
  - सैटेलाइट शाला में शिक्षक की नियुक्ति न होने पर
  - बीएड./ डी.एड. प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने से आदि

2. अतिथि शिक्षक का पेनल तैयार करने की प्रकिया

- राज्य स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
- इस विज्ञप्ति के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थी अपनी शाला के प्रधानअध्यापक/वरिष्ठ शिक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति भी स्थानीय स्तर पर शाला में नोटिस लगाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगेंगें। इस हेतु सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगें। आयु की अधिकतम सीमा 70 वर्ष होगी।
- शाला स्तर पर प्राप्त आवेदनों पत्रों के आधार पर अतिथि शिक्षकों का एक पैनल शाला प्रमुख तथा पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दोनों की सहमति से तैयार किया जाएगा।

माध्यमिक स्तर की शालाओं के लिए यह सूची विषय समूहवार यथा 1. विज्ञान एवं गणित समूह, 2. सामाजिक विज्ञान एवं 3 भाषा समूह यथा समूहवार होगी।

- निर्धारित योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त व्यक्तियों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों को पैनल में सबसे ऊपर रखा जाएगा। प्राप्त आवेदनों में निर्धारित योग्यता रखने वाले सेवा निवृत्त व्यक्तियों/शिक्षकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सेवा निवृत्त व्यक्ति/शिक्षक उपलब्ध न होने पर ही अन्य आवेदकों के आवेदन पर विचार किया जायेगा अर्थात पैनल में सबसे पहले सेवानिवृत्त व्यक्ति/शिक्षको के नाम रखे जायेंगें। संवानिवृत्त व्यक्ति अथवा शिक्षक की अनुपलब्धता पर शेष आवेदकों के लिए आपसी गुणानुक्रम निम्नलिखित क्रम में निर्धारित किया जाएगा–

    - प्रथम वरीयता प्राथमिक स्तर पर डी.एड./डी.एस.ई./बी.टी.सी एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं के लिए बी.एड/बी.एड.(विशेष शिक्षा)/डी.एड./डी.एस.ई./बी.टी.सी की योग्यता वाले आवेदकों को दी जाएगी।
    - द्वितीय वरीयता प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए हायरसकेण्डरी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं के लिए उस विषय समूह में स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। सर्वाधिक अंक प्राप्त आवेदकों को ऊपर रखा जाएगा।

- उपरोक्तानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक शाला के लिए एक पैनल तैयार किया जाएगा। माध्यमिक स्तर के अतिथि अध्यापक के लिए विषयसमूह वार पैनल तैयार किया जाएगा।
- यदि पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा प्रधानअध्यापक/वरिष्ठ शिक्षक की राय में अभ्यर्थी शिक्षण कार्य हेतु स्वस्थ नहीं है, तो वे आवेदक से स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र की मांग कर सकेंगे एवं प्रमाण पत्र न दे पाने की स्थिति में अगले आवेदक का चयन किया जायेगा।
- शालावार अतिथि शिक्षकों के पेनल की सूची को सार्वजनिक किया जाएगा तथा शाला के सूचना पटल/BEO जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/संकुल शाला के कार्यालय में चस्पा किया जाएगा तथा DEO, DPC तथा आहरण संवितरण अधिकारी कार्यालय को सूचित किया जाएगा।
- शाला के शिक्षक द्वारा पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति के सचिव की हैसियत से पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को गुणानुक्रम के अनुसार अर्थात क्रम में ऊपर से आवेदकों को अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

3 अतिथि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता

शाला	योग्यता	प्रशिक्षण संबंधी योग्यता जो मान्य की जायेगी	प्रशिक्षण संबंधी योग्यता को मान्य नहीं की जायेगी
प्राथमिक शाला	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण	डी.एड./डी.एस.ई/बी.टी. सी.	बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) एवं अन्य उपाधियॉ
माध्यमिक शाला	स्नातक	डी.एड./बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/डी.एस.ई.	अन्य उपाधियॉ

	1. सामाजिक विज्ञान समूह 2. भाषा 3. गणित एवं विज्ञान समूह	/बी.टी.सी.	

4 अतिथि शिक्षक को मानदेय

शाला	मानदेय राशि
प्राथमिक शाला	प्रति उपस्थिति दिवस रू. 100/– के मान से।
माध्यमिक शाला	प्रति उपस्थिति दिवस रू. 150/– के मान से

5 अतिथि शिक्षक रखने की प्रकिया

- कम शिक्षक पदस्थ होने अथवा अवकाश आदि अन्य कारणों से यदि प्राथमिक शाला में 2 से कम शिक्षक एवं माध्यमिक शाला में 3 से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति निर्मित होती है तो अतिथि शिक्षक रखा जा सकेगा। माध्यमिक शाला में अनिवार्यतः यह ध्यान रखा जाएगा कि अतिथि शिक्षक उसी विषय समूह का स्नातक हो जिस विषय समूह का शिक्षक शाला में उपलब्ध/उपस्थित नहीं है। किसी भी स्थिति में छात्र संख्या के अनुपात में अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगें। यदि किसी के द्वारा नियमों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाएंगें तो संबंधित के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अपितु अतिथि शिक्षक को देय मानदेय राशि भी संबंधित नियुक्तिकर्ता शिक्षक/अधिकारी से वसूल की जाएगी।
- न्यूनतम से कम शिक्षक उपलब्ध होने अथवा किसी शिक्षक के अवकाश पर होने पर यदि निर्धारित न्यूनतम शिक्षक से कम शिक्षक हों तो प्रधान पाठक अतिथि शिक्षकों की पैनल में से वरीयता क्रम से आवेदकों को आमंत्रित करेगा। क्रम में उपर के अतिथि शिक्षक के उपलब्ध न होने पर क्रम में अगले अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जा सकेगा।
- माध्यमिक शाला में अनिवार्यतः यह ध्यान रखा जाएगा कि जिस विषय समूह के शिक्षक शाला में उपस्थित होंगें उस विषय के अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। जिस विषय समूह के शिक्षक अनुपलब्ध होंगें उसी विषय के अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा।
- अतिथि शिक्षक को रखने की सूचना संकुल प्राचार्य तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को परिशिष्ट 1 में अविलंब दी जाएगी।

6 मानदेय भुगतान की प्रकिया

- अतिथि शिक्षक हेतु राशि का व्यय वेतन भत्ते मद से किया जाएगा।
- आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा उन्हीं शालाओं के लिए अतिथि शिक्षक का मानदेय भुगतान किया जाएगा जिन शालाओं में प्राथमिक शाला में 2 एवं माध्यमिक शाला में 3 से कम शिक्षक कार्यरत हों

अथवा अवकाश की स्थिति में न्यूनतम से कम शिक्षक उपलब्ध हो अन्यथा संबंधितों को भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी से की जाएगी।

- अध्यापन हेतु चिन्हित अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान संबंधी आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन वेबसाफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ही निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार किया जावेगा–

- विद्यालय से पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति द्वारा चिन्हित अतिथि शिक्षक की जानकारी प्राप्त करना:– विद्यालय जिनमें पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति द्वारा अतिथि शिक्षक को अध्यापन कार्य के लिए चिन्हित किया है। उन अतिथि शिक्षकों की निम्नलिखित बिन्दुओ (नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, निवास का पता, दूरभाष क्रमांक, मोबाइल क्रमांक इत्यादि) पर जानकारी संबंधित शालाओं से प्राप्त की जावे। प्राप्त जानकारी को आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं के यूजर नेम पासवर्ड का उपयोग करते हुए साफ्टवेयर में प्रविष्टि करायेगे, प्रविष्टि उपरांत कम्प्यूटर द्वारा अतिथि शिक्षको को कोड आवंटित किया जावेगा।

- अध्यापन कार्य हेतु चिन्हित अतिथि शिक्षक का मानदेय तैयार करना:– चिन्हित अतिथि शिक्षक की पदस्थायी शाला के प्रधानाध्यापक एवं पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त सूची के आधार पर ग्रान्ट इन एड का देयक निर्धारित प्रारूप में कोषालय को प्रस्तुत किया जायेगा। कोषालय से आहरित राशि को मानदेय भुगतान हेतु संबंधित पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति के खाते में भेजी जायेगी। पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति द्वारा अतिथि शिक्षक को चैक से राशि का भुगतान किया जावेगा। आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से वेतन आहरित करने वाले जिलों में मॉग संख्या 80 एवं 75 के अन्तर्गत तथा आयुक्त आदिम जाति कल्याण के अन्तर्गत आदिवासी जिलों के लिए मॉग संख्या 33 के अन्तर्गत भुगतान किया जावेगा। उक्त व्यय ग्रान्ट इन एड के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में विकलनीय होगा।

- मानदेय भुगतान की उक्त कार्रवाई के लिए अतिथि शिक्षक के पदस्थीय शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार उपस्थिति प्रमाण पत्र संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को प्रेषित करे। जन शिक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रधानाध्यापक एवं पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति द्वारा प्रमाणित उपस्थिति प्रमाण पत्र आहरण संवितरण अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त निर्देशो के अनुसार समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जावगी।

7 समयसारिणी

राज्य स्तर से विज्ञापन का प्रसारण – सभी जिलों के संस्करणों में	03 अगस्त
जिले से शाला स्तर तक प्रचार प्रसार	10 अगस्त तक
आवेदन आमंत्रित करना	17 अगस्त तक
आवेदन के आधार पर अतिथि शिक्षक का पेनल तैयार करना	25 अगस्त

पेनल में से आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करना	आवश्यकतानुसार
अतिथि शिक्षक रखने की स्थिति में संकुल प्राचार्य को सूचना देना	नियुक्ति के 3 दिवस में
अतिथि शिक्षक की उपस्थिति भेजना	प्रति माह की 20 तारीख तक। गत माह की 20 तारीख से इस माह की 19 तारीख तक की

8 **अन्य मुद्दे**

- अतिथि अध्यापन व्यवस्था तात्कालिक एवं अस्थाई स्वरूप की है। यह किसी पद के विरूद्ध नियुक्ति नहीं है। अतिथि अध्यापकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मानदेय की पात्रता होगी। उन्हें इस कार्य के लिए न तो अनुभव प्रमाणपत्र दिया जाएगा और न ही भविष्य में किसी शासकीय पद की भर्ती के समय इसे कार्यानुभव के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- शाला प्रधानअध्यापक/वरिष्ठ शिक्षक द्वारा समय समय पर अतिथि शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। और अध्यापन कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर अतिथि शिक्षक को आगे अध्यापन कार्य हेतु नहीं बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति द्वारा पैनल में सम्मिलित अगले व्यक्ति को अतिथि अध्यापक के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।
- इस व्यवस्था अंतर्गत चयन किए गए अतिथि अध्यापक का पेनल केवल एक अकादमिक सत्र के लिए मान्य किया जाएगा।

9. इस आदेश के जारी होने पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संबंध में जारी आदेश अधिक्रमित माने जावेगें।

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
भोपाल

पृ.क्रं./स्कूल शिक्षा/2010 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन को सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन को सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन को सादर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

6. आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, अनुसूचित जाति विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. आयुक्त, जन संपर्क की ओर सूचनार्थ।
9. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
10. समस्त कलेक्टर की ओर सूचनार्थ।
11. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
13. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ।
14. प्रभारी मीडिया कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. वैभव श्रीवास्तव प्रोग्रामर को website http://www.ssa.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
16. सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त/जेंडर, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
भोपाल